कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पिरौटा, भोजपुर

D.El.Ed. (2020–22) में प्रथम चयन सूची से नामांकन हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश :–

1. प्रथम चयन सूची से नामांकन की तिथि दिनांक–02.02.2021 से दिनांक–05.02.2021 है। उपरोक्त अंतिम तिथि तक नामांकन हेतु उपस्थित नही होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का चयन स्वतः रद्द हो जाएगा तथा इस सत्र में उन्हे नामांकन का अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।

2. नामांकन हेतु चयन के आधार यथा प्राप्तांक,जन्म तिथि,नाम,कोटि में अंतर पाये जाने पर अभ्यर्थी के नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तु करने के कारण संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी।

3.दिनांक 21.01.2020 से पूर्व अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता/इंटर पूर्ण होना चाहिए।

4. दिनांक 01.01.2020 को आधार मानकर उम्र की गणना की जायेगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए।

5. नामांकन उपरांत अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग,बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत का अनुपालन करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में उनका नामांकन रदद् कर दिया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस आशय का शपथ पत्र नामांकन के समय देना अनिवार्य होगा।

6.अभ्यर्थी एक फाईल फोल्डर में दो पासपोर्ट साइज फोटों,मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवंनामांकन से संबंधित अन्य आवश्यक कागजात जमा करेंगे तथा एक अन्य फाईल फोल्डर में सभी दस्तावेजों की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी आवश्यक रुप से उपलब्ध करायेंगे।

नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक होगा। –

1. मैट्रिक/समकक्ष का मूल अंक पत्र।
2. मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र।
3. इंटरमीडिएट/समकक्ष का मूल अंक पत्र।
4. इंटरमीडिएट मूल प्रमाण पत्र।
5. उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र।
6. विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग अथवा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (अतिआवश्यक)
7. C.B.S.E/I.C.S.E बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र।
8. आरक्षण कोटि के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन जाति प्रमाण पत्र।
9. EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन प्रमाण पत्र।
10. निःशक्त प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत (निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए)
11. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
12. शपथ पत्र (नोटरी के द्वारा) जिसमें यह अकित हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में संस्थान मेरे विरूद्ध कानूनी कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र प्रपत्र संलग्न)
13. नामांकन शुल्क का भुगतान – चयनित अभ्यर्थियों को नामांकन उपरांत तीन दिनों के अंदर D.D जमा करना है अन्यथा नामांकन स्वतः समाप्त हो जायेगा।